गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की सूची में कोई और विस्तार करने के पक्ष में नहीं है ।

नक्सलवादियों को प्रशिक्षण देने के लिये भूमिगत कालेज

6561. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजनौर जिले में नक्सलवादी एक भूमिगत कालेज चला रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त कालेज में किसानों को खूनी क्रांति के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कालेज को चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से)ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किये गये हिन्दी सहायक

6562. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी सहायकों के बारे में 13 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2900 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय का वर्ष 1959 में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से हिन्दी सहायकों के लिए परीक्षा लेने का प्रयोजन क्या था और क्या उस उद्देश्य की अब पूर्ति हो गई है जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त पद धीरे-धीरे समाप्त किये जा रहे हैं;

(ख) वर्ष 1959 और 1960 में विभिन्न मंत्रालयों तथा कार्यालयों में स्वयं गृह मंत्रालय द्वारा हिन्दी सहायक नियुक्त किये जाने के क्या कारण थे जबकि उपर्युक्त पदों पर एक या दो नियुक्तियां खुद सम्बन्धित मंत्रालयों तथा अधिकारियों द्वारा की जाती हैं; और

(ग) क्या व्यवहार में गृह-कार्य मंत्रालय की नीति अंग्रेजी का अनिश्चित काल तक प्रयोग रखने और हिन्दी का प्रयोग न करने का है यद्यपि संविधान तथा विधि में हिन्दी के प्रयोग की गारंटी दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). हिन्दी से सम्बन्धित कार्य करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में निर्मित हिन्दी सहायकों के पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1959 में एक परीक्षा लेने का निर्णय किया गया था ताकि इन पदों के लिए भर्ती एक समान प्रक्रिया तथा एक समान स्तर के अनुसार हो । इस परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम अवधि की सेवा तथा न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं की शर्तों को पूरा करने वाले केन्द्रीय सचिवालय सेवा के केवल निम्न श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक पात्र थे । इस परीक्षा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए व्यक्ति उन विभिन्न मंत्रालयों / विभागों को नामित किये गये जहां हिन्दी सहायकों के पद विद्यमान थे और जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां अनर्ह उम्मीदवारों को पदावनत किया गया । हिन्दी सहायकों की कुछ रिक्तियां जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई चयन सूची खत्म हो जाने के बाद

हुई थीं, स्वयं मंत्रालयों द्वारा भरी गईं । हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी में प्रशिक्षित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या में क्रमिक वृद्धि होने से केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के हिन्दी जानने वाले कर्मचारी वर्ग को हिन्दी कार्य की देख-रेख करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और हिन्दी अनुवादकों को केवल वह कार्य करना पड़ता है जिसमें केवल हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का कार्य निहित हो । अत: हिन्दी सहायक का कोई नया पद निर्माण न करने और जब कभी हिन्दी सहायक का कोई पद खाली हो, उसे न भरने का निर्णय किया गया है । प्रत्येक कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित संख्या में हिन्दी अनुवादकों के पदों का निर्माण किया जा सकता है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

हिन्दी सहायक शिक्षकों, हिन्दी अनुवादकों आदि के लिये पदोन्नति के अवसर

6563. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या गृह-कार्य मंत्री हिन्दी अधिकारियों तथा हिन्दी पर्यवेक्षकों के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई विभागीय परीक्षा के बारे में 13 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2899 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे हिन्दी शिक्षक जिनको उनके मंत्रालय द्वारा उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी उनके मंत्रालय अथवा उसके किन्हीं अधीनस्थ कार्यालयों में काम कर रहे हैं तथा क्या उन्हें हिन्दी सहायकों की तरह विभागीय पदोन्नतियों के अवसर नहीं दिये गये हैं ;

(ख) क्या 11 फरवरी, 1970 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को देखते हुए पदोन्नतियां इत्यादि के उद्देश्य के लिये शिक्षा मंत्रालय (मुख्य) तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में काम कर रहे हिन्दी सहायकों, हिन्दी अनुवादकों, हिन्दी अधिकारियों तथा विशेष अधिकारियों (हिन्दी) के लिये एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उक्त दो अधीनस्थ कार्यालयों के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को दोहरा लाभ दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन अध्यापकों के नियुक्ति तथा नियंत्रण प्राधिकारी, गृह मंत्रालय के होने के कारण, उनके किसी भी स्थान पर नियुक्त होते हुये वे हिन्दी अधिकारियों और हिन्दी पर्यवेक्षकों के पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग को प्रार्थना-पत्र भेजने के पात्र समझे गये थे यदि वे उक्त पद के लिए अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करते थे ।

हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन अगला उच्चतर पद सहायक पर्यवेक्षक का है । भरती नियमों के अनुसार यह पद 50 प्रतिशत सीधी भरती से और 50 प्रतिशत अध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है । हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत 225 अध्यापकों के पद और 17 सहायक पर्यवेक्षकों के पद हैं ।

(ख) और (ग). दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय की जांच विधि-मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जा रही है ।

Muslim Regimental Organisations in Aligarh Muslim University

6564. SHRI S. K. TAPURIAH : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether the Aligarh Muslim Uni-